राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक – न0नि0–50–37/2025 1205
प्रेषक,

संजय कुमार (भा0प्र0से0)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला दंडाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
सारण (छपरा)।

पटना, दिनांक – 18.3.26

विषयः उत्क्रमित नगर परिषद सोनपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन/परिसीमन के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक–1265, दिनांक–14.03.2026, पत्रांक–1219, दिनांक–12.03.2026 एवं आयोग का पत्रांक–3906, दिनांक–26.09.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रांक–1265, दिनांक–14.03.2026 एवं पत्रांक–1219, दिनांक–12.03.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि उत्क्रमित नगर परिषद, सोनपुर के वार्ड गठन/परिसीमन के उपरांत यह संज्ञान में आया है कि वार्ड संख्या–3 एवं वार्ड संख्या–04 के चौहद्दी में लिपिकीय भूलवश " मुगल केनाल (दुधैला–94)" के स्थान पर केवल "दुधैला–94" अंकित हो गया है जिसके कारण आपके द्वारा दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

पुनश्च आपके द्वारा उक्त लिपिकीय भूल के सुधारोपरांत चौहद्दी, नक्शा एवं प्रपत्र–6 में परिवर्तन का प्रस्ताव प्रासंगिक पत्रांक–1265, दिनांक–14.03.2026 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार उक्त क्षेत्र दुधैला–94 पूर्व से ही नगर पंचायत, सोनपुर के परिक्षेत्र में शामिल है अर्थात किसी नए क्षेत्र को जोड़ा/हटाया नहीं जा रहा है, तथा प्रतिवेदनानुसार उक्त क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्ड संख्या–03 एवं वार्ड संख्या–04 में वार्ड गठन के अनुमोदित प्रस्ताव में पूर्व से ही शामिल है अर्थात किसी नए जनसंख्या को जोड़ने/घटाने का प्रस्ताव नहीं है।

आयोग द्वारा उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम–92** के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्न शर्तों के अधीन आपके प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया हैः–

(क) प्रभावित वार्ड संख्या–03 एवं 04 के चौहद्दी के सुधारोपरांत संशोधित चौहद्दी सहित प्रपत्र–6 का प्रकाशन उक्त वार्ड के निवासियों से **विशेष दावा/आपति** प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया जाएगा। **विशेष दावा/आपति हेतु कार्यक्रम निम्नवत् हैः–**

1.	संशोधित चौहद्दी एवं नक्शा (केवल वार्ड संख्या–03 एवं 04) का प्रकाशन	– 19.03.2026
2.	विशेष दावा–आपत्तियों (केवल वार्ड संख्या –03 एवं 04 के चौहद्दी के संबंध में) की प्राप्ति की अवधि	– 19.03.2026 से 24.03.2026
3.	आपत्तियों का निष्पादन	– 19.03.2026 से 24.03.2026
4.	आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत संशोधित नक्शा एवं चौहद्दी सहित संपूर्ण वार्ड का प्रकाशन	– 25.03.2026
5.	वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन	– 28.03.2026 तक।
6.	अंतिम रूप से गठित वार्डो का जिला गजट में प्रकाशन	– 30.03..2026 तक।
7.	राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डो की सूची (प्रपत्र 6) एवं मानचित्र (सभी मूल प्रति में) प्राप्त करने की अंतिम तिथि	– 02.04.2026 तक ।

(ख) **विशेष दावा/आपत्ति** प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक पत्रांक–3906, दिनांक–26.09.2025 में वर्णित माध्यमों में इसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी तथा उक्त पत्र में यथावर्णित प्रक्रिया के अनुसार **प्रचार–प्रसार** किया जाएगा।

(ग) **विशेष दावा/आपत्ति** जिसका संबंध केवल चौहद्दी तक सीमित रहेगा, के संबंध में दावा/आपति का निराकरण आयोग के प्रासंगिक पत्रांक–दिनांक–में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(घ) **विशेष दावा/आपत्ति** के निराकरण के उपरांत संशोधित संपूर्ण नक्शा (संपूर्ण वार्डों 01 से 25 तक का) एवं प्रपत्र–6 (संपूर्ण वार्डों 01 से 25 तक का) का पुनरानुमोदन प्रमंडलीय आयुक्त, सारण (छपरा) से कराया जाएगा।

(ड.) संशोधित पुनरानुमोदित प्रपत्र–6 एवं नक्शा के अनुसार जिला गजट में इसका प्रकाशन कराया जाएगा।

(च) संशोधित पुनरानुमोदित प्रपत्र–6 एवं नक्शा की मूल में उतनी ही प्रतियाँ तैयार की जाएगी जितनी पूर्व में तैयार की गई थी। साथ ही साथ इन मूल प्रतियों को उन सभी कार्यालयों को पुनः प्रेषित की जाएगी, जिन्हें पूर्व में प्रेषित किया गया था।

(छ) आयोग के पत्रांक–936, दिनांक–06.03.2026 द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 हेतु मतदाता सूची के विखंडीकरण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। अतः उक्त आलोक में वार्ड संख्या–03 एवं 04 का मतदाता सूची सही संशोधित चौहद्दी के अनुरूप हीं किया जाएगा भले ही इसका अंतिम अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

(ज) नगर निकाय में पूर्व से शामिल किसी क्षेत्र का अंतिम अनुमोदन में छुट जाना निश्चय ही उस कार्य में संलग्न स्थानीय पदाधिकारियों के गंभीर लापरवाही का परिचायक है। अतएव संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए मंतव्यसहित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(झ) यह आदेश विशेष परिस्थिति में जनहित एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन कार्य को संपादित कराये जाने हेतु प्रदान किया गया है अतः इस आदेश को समरूप मामले हेतु पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाएगा।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

18/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक – न0नि0–50–37 / 2025 1205 पटना, दिनांक – 18.3.26

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक – न0नि0–50–37 / 2025 1205 पटना, दिनांक – 18.3.26

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक – न0नि0–50–37 / 2025 1205 पटना, दिनांक – 18.3.26

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि व्यक्तिगत अनुश्रवण में संशोधित विशेष दावा / आपति के उपरांत प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन सुनिश्चित करेगें।

18/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक – न0नि0–50–37 / 2025 1205 पटना, दिनांक – 18.3.26

प्रतिलिपि – प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक – न0नि0–50–37 / 2025 1205 पटना, दिनांक – 18.3.26

प्रतिलिपि – 1. आई.टी. प्रबंधक / एस.इ.आर. टीम को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमति प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि सम्पूर्ण कार्यक्रम का प्रकाशन प्रिंट मीडिया / सोशल मीडिया के माध्यम से कराने की कार्यवाई अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए।

18/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।